

न्यायालय अस्ट्रेट कलकटर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 193/2012-13

धारा— 143 ज.वि.अ 1950

वादी—

1—श्रीमती मंजिरा देवी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा  
जिला उत्तरकाशी।

बनाम

प्रतिवादीगण—

1—जय प्रकाश पुत्र रामेश्वर

2—केदार दत्त पुत्र रामेश्वर

3—सत्य प्रकाश पुत्र रामेश्वर

निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला  
उत्तरकाशी।

:: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया  
कि मौजा हिटाणू पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1418-1423 के खाता संख्या-43 में  
दर्ज खसरा संख्या-1749 रक्वा 0.016हें० भूमि अन्य खातेदारों के साथ-साथ वादिनी के नाम बतौर  
भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काशत में है। दावी भूमि पर  
वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य  
में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐक्ट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर  
कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि  
भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव के  
खाता संख्या-43 की नकल प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र की जाचं तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी  
धनारी ने अपनी जाचं दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम पुजारगांव के खाता  
संख्या-43 में दर्ज खसरा संख्या-1749 रक्वा 0.016हें० भूमि डा० एच०एस० नौटियाल प्र० मंजिरा देवी  
शि० एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन  
निर्माणाधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि)  
नहीं किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं भवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक  
भटवाड़ी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की  
आख्या दी गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकर्तों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी  
ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी०डब्ल०-२ श्री मनीलाल पुत्र श्री दिल्लू उम्र-४० वर्ष ग्राम  
पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के बयान परिषित करवाये। वादी ने अपने बयानों में  
कहा कि मौजा पुजारगांव/हिटाणू के खसरा संख्या-1749 रक्वा 0.016हें० भूमि अन्य खातेदारों के साथ  
मेरे नाम दर्ज अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। मैं उक्त दावी खसरा  
को सराय ऐक्ट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है  
जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया  
जा रहा है। दावी भूमि के चारों ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानों में  
दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया है। पी०डब्ल०-२ श्री मनीलाल पुत्र दिल्लू

क्रमश-2

R/Chairman  
Smt. Manjira Devi Shikshan  
& Prashikshan Samiti  
Hitanu Dhanrai, Uttarkashi (U.K.)

## न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 169 / 2012-13

धारा- 143 ज.वि.अ. 1950

वादी-

1-श्रीमती मंजिरा देवी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी।

### बनाम

प्रतिवादीगण-

- 1-जगदीश प्रसाद पुत्र श्री भगवान दत्त
- 2-बद्री दत्त पुत्र भगवान दत्त
- 3-शान्ति प्रसाद पुत्र गुरु प्रसाद
- 4-राकेश प्रसाद पुत्र गुरु प्रसाद
- 5-उब्बली देवी पत्नी गुरुप्रसाद

निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।

### :: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1418-1423 के खाता संख्या-40 में दर्ज खसरा संख्या-1972 रक्वा 0.049हें० भूमि अन्य खातेदारों के साथ-साथ वादिनी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐकट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या-40 की नकल प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी ने अपनी जांच दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या-40 में दर्ज खसरा संख्या-1972 रक्वा 0.049हें० भूमि डा० एच०एस० नौटियाल प्र० मंजरा देवी शि० एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) नहीं किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं भवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकरों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी०डब्लू०-२ श्री मनीलाल पुत्र श्री दिल्लु उम्र-40 वर्ष ग्राम पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के बयान परिक्षित करवाये। वादी ने अपने बयानों में कहा कि मौजा पुजारगांव/हिटाणू के खसरा संख्या-1972 रक्वा 0.049हें० भूमि अन्य खातेदारों के साथ मेरे नाम दर्ज अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। मैं उक्त दावी खसरा को सराय ऐकट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दावी भूमि के चारों ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानों में



*Vijayawati*  
Smt. Manjira Devi Shikshan  
& Prashikshan Samiti  
Hitni Dhanari, Uttarkashi (U.K.)



क्रमांक

उम्र-40 वर्ष ने वादिनी के कथन का समर्थन करते हुये कहा कि दावी भूमि वादिनी के नाम पर दर्ज अभिलेख है तथा वादिनी के कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का जिक्रण संस्थान देते भरन निर्माणाधीन है तथा दावी भूमि पर किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

वाद पत्रावली का सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि दावी भूमि अब कृषि बावादी पशुपालन, मत्स्यपालन कुकुट पालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है तथा दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भवन निर्माणाधीन है। जिस पर अब कृषि कार्य नहीं हो सकता है। इसलिये दावी भूमि को अकृषित/आवादी घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।


### :: आदेश ::

ग्राम पुजारगाँव, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के खतौनी फसली वर्ष 1418-1423 में डा० एच०एस० नौटियाल प्र० मंजरा देवी शि० एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू के नाम खाता संख्या-43 में दर्ज खसरा संख्या-1749 रक्वा 0.016 हे० भूमि को गैर कृषि/आवादी सेत्र घोषित किया जाता है। तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार डुण्डा को निःशुल्क नियत रीते से गैर कृषि/आवादी किस्म भूमि में दर्ज करने हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार संचित हो।

(क० क० सिंह )  
असिस्टेन्ट कलक्टर  
डुण्डा, उत्तरकाशी।

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.05.2013 को खुले न्यायालय में स्वाहस्त्राक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उद्घोषित।

असिस्टेन्ट कलक्टर  
डुण्डा, उत्तरकाशी।



*Sheepmen*  
**CHAIRMAN**  
Smt. Manjira Devi Shikshan  
& Prashikshan Samiti  
Hitani Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

भोवत बाबालाल आसिस्टेंट कलम्तु दृष्टि ।

संख्या: १११/२०१२-१३ धरा-१६३ अ.वि.ओ  
आदीनी- श्रीमती मंजिरादेवी क्षणाम गुरुलीला  
उमी साठे पुजारीय बे. निवास। ओडिशा  
दिनांक २०-०८-२०१३ श्री पुगाणित श्री  
संलग्न :-



वाचक रीडर  
प० म०/अ० क०/व०प्रा०  
विशेष विवाह अधिकारी  
हुण उपरकाशी

*Smt. Manjira Devi Shikshan  
& Prashikshan Samiti  
Hitanu Dhanan,*

कहा कि मौजा पुजारगांव/हिटाणू के खसरा संख्या-1988 रक्वा 0.013हे0 भूमि अन्य खातेदारों के साथ मेरे नाम दर्ज अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। मैं उक्त दावी खसरा को सराय ऐकट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए बाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दावी भूमि के चारों ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानों में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया है। पी0डब्लू-2 श्री मनीलाल पुत्र दिल्लू उम्र-40 वर्ष ने वादिनी के कथन का समर्थन करते हुये कहा कि दावी भूमि वादिनी के नाम पर दर्ज अभिलेख है तथा वादिनी के कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माणाधीन है तथा दावी भूमि पर किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

बाद पत्रावली का सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि दावी भूमि अब कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन कुकुट पालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है तथा दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भवन निर्माणाधीन है। जिस पर अब कृषि कार्य नहीं हो सकता है। इसलिये दावी भूमि को अकृषित/आबादी घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

#### :: आदेश ::

ग्राम पुजारगांव, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के खतीनी फसली वर्ष 1418-1423 में डा० एच०एस० नौटियाल प्र० मंजरा देवी शि० एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू के नाम खाता संख्या-106 में दर्ज खसरा संख्या-1988 रक्वा 0.013 हे० भूमि को गैर कृषि/आबादी क्षेत्र घोषित किया जाता है। तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार डुण्डा को निःशुल्क नियत रीति से गैर कृषि/आबादी किस्म भूमि में दर्ज करने हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार संचित हो।

(के० के० सिंह )  
असिस्टेन्ट कलक्टर  
डुण्डा, उत्तरकाशी।

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.05.2013 को खुले न्यायालय में स्वदर्स्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उद्घोषित।



RECEIVED COPY



असिस्टेन्ट कलक्टर  
डुण्डा, उत्तरकाशी।

*Bhawna*  
CHAIRMAN  
Smt. Manjira Devi Shikshan  
& Prashikshan Samiti  
Hitau Dhanari, Utarkashi (U.K.)

(21)

## न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 191/2012-13

धारा— 143 ज.वि.अ.1950

वादी—

1—श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण / प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा  
जिला उत्तरकाशी।

### बनाम

प्रतिवादीगण—

- 1—मुरलीधर पुत्र जगरनाथ
- 2—राम अवतार पुत्र रामप्रसाद
- 3—बैशाखू राम पुत्र राम प्रसाद
- 4—शिवशक्ति पुत्र धनीराम
- 5—शिवराम पुत्र काशीराम
- 6—शान्तिलाल पुत्र धनीराम
- 7—सोहन लाल पुत्र धनीराम
- 8—सिरा देवी पत्नी धनीलाल
- 9—विजय राम पुत्र धामू
- 10—प्रवीन पुत्र धनीराम

निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।

### :: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1418-1423 के खाता संख्या-106 में दर्ज खसरा संख्या-1988 रक्वा 0.013हें० भूमि अन्य खातेदारों के साथ-साथ वादिनी के नाम बताऊं भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐकट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या-106 की नकल प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी ने अपनी जांच दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या-106 में दर्ज खसरा संख्या-1988 रक्वा 0.013हें० भूमि डा० एच०एस० नौटियाल प्र० मंजरा देवी शि० एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्त्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) भटवाड़ी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकर्तों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी०डब्ल०-२ श्री मनीलाल पुत्र श्री दिल्लु उम्र-40 वर्ष ग्राम पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के बयान परिषित करवाये। वादी ने अपने बयानों में



पंचायत  
पंचायत

*R. Bagwell* क्रमांक-2  
CHAIRMAN  
Smt. Manjira Devi Shikshan Samiti  
& Prashikshan Samiti  
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

न्यायालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 194 / 2012-13

धारा— 143 उ.ज.वि अ 1950

वादी

श्रीमती मन्जिरा देवी शिक्षण प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी।

बनाम

प्रतिवादीगण—

- 1—अब्बल सिंह पुत्र अमर सिंह
- 2—मखन सिंह पुत्र अमर सिंह
- 3—केन्द्र सिंह पुत्र अतर सिंह
- 4—कुलवीर पुत्र अतर सिंह
- 5—विजना देवी पुत्र अतर सिंह
- 6—नैन सिंह पुत्र नारायण सिंह
- 7—मुन्नी लाल पुत्र छौन्दाढू
- 8—कौरा देवी पली छौन्दाढू
- 9—शशू लाल पुत्र असाढू
- 10—विशन लाल पुत्र असाढू

निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।

निर्णय :

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1419-1424 के खाता संख्या-4 में दर्ज खसरा संख्या-496 रक्वा 0.049हे0.482म. रक्वा 0.058हे0 भूमि अन्य खातेदारों के साथ-साथ वादिनी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काशत में है। दावी भूमि पर वादिनी का आवासीय भवन निर्माणधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐक्ट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या-4 की नकल प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र की जाचं तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी ने अपनी जाचं दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम हिटाणू भालरी के खाता संख्या-4 में दर्ज खसरा संख्या-496 रक्वा 0.049हे0.482म. रक्वा 0.058हे0 भूमि निदेशक डा० हरिशंकर नौटियाल मंजीरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) नहीं किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं भवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आव्या दी गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकरों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी


Ch. No. 1000  
Smt. Manjira Devi Shikshan  
& Prashikshan Samiti  
Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

ने अपने दावों पर के अन्तर्गत हैं अपने तथा पी0डब्लू-२ श्री सेवकन् दुव श्री लौटीला उम ४२ नम्बर ग्राम पुजारगांव (हिटाणु) पट्टी धनारी तहसील डुण्डा के बयान परिषिक्त करताहे। जावे च भावे दरामा म कहा कि मैंना कुलारपाव (हिटाणु) के खसरा संख्या-४५८ रकवा ०.०४३ह० ४८२३ लौटीला अन्य खालीले के साथ एवं यह अभिलेख है दावी भूमि पर बाबा का रखा है। मैं सकल दावी खसरा को राशव एकट में पंजीकृत करने हेतु दावी भूमि का और इसीपे भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए बाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दावी भूमि के चारों ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्भित है। वादिनी ने अपने बधानों में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोद किया है। पी0डब्लू-२ श्री सेवकन् दुव श्री लौटीला ने वादिनी के कथन का समर्थन करते हुए कहा कि दावी भूमि वादिनी के नाम पर दर्ज अभिलेख है तथा वादिनी के कबजे काशत में है। दावी भूमि पर वादिनी के शिक्षण सरकान हेतु भवन निर्माणाधीन है तथा दावी भूमि पर किसी भी प्रकार से कृषि वाद नहीं है।

बाद पत्रावली का सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि दावी भूमि अब कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन कुकुठ पालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है तथा दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भवन निर्माणाधीन है। जिस पर अब कृषि कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए दावी भूमि को अकृषित / आवादी घोषित किया जाना व्यायोचित होगा।

#### :: आदेश ::

ग्राम हिटाणु मध्य भालसी, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के खत्तीनी फसली वर्ष 1419-1424 में निदेशक डा० हरिशंकर नौटियाल मंजरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणु पट्टी धनारी के नाम खाला संख्या-४ में दर्ज खसरा संख्या-४९६ रकवा ०.०४९ह००.४८२३ रकवा ०.०५८ह० भूमि को गैर कृषि/आवादी क्षेत्र घोषित किया जाता है। तहसीलदार/सब रजिस्ट्रर डुण्डा को निशुल्क नियत रीति से गैर कृषि/आवादी किसी भूमि में दर्ज करने हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखावार संचित हो।

  
 (लैटे के सिंह)  
 असिस्टेन्ट कलापटर  
 डुण्डा, उत्तरकाशी

लक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.05.2013 को खुले व्यायालय में स्वहस्ताकारिता व व्यायालय की मुद्रा लगाकर उद्घोषित।

TRUE COPY

  
 असिस्टेन्ट कलापटर  
 डुण्डा, उत्तरकाशी

  
 CHAIRMAN  
 Smt. Manjira Devi Shikshan  
 & Prashikshan Samiti  
 Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

(23)

जारी करने वाले आमंत्रित कलम (कृष्ण) ।


दिन में 195/2012-13 दिन - 143 अ.वि.म.

संदर्भ - श्रीमती मंजुरा देवी का जन्म गया

आई - श्रीमती मंजुरा देवी (आदर्श)

दिनांक 20-05-2013 की उमानित अंती

संदर्भ :-



*Bhagwan*  
Smt. Manjura D  
CHAIRMAN  
& Prashik  
Hitanu Dhanan, Utkal Samiti (U.K.)

वादालय असिस्टेंट कलक्टर डुण्डा तहसील

वाद संख्या 195/2012-13

धारा- 143 ज.वि.अ. 1950

दावी 1. श्रीदती मंजीरा देवी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था हिटाणू धनारी तहसील डुण्डा  
उत्तरकाशी।

बलाम

प्रतिवादीगण— 1—गारिया पुत्र श्री जवारु

2—नथी लाल पुत्र श्री चन्द्रलाल

3—सुरेश लाल पुत्र चन्द्रलाल

4—पंचा देवी पत्नी चन्द्र लाल डडमाली धनारी

5—चन्द्र लाल पुत्र श्री दीपा

6—दिनेश पुत्र दीपा

7—पारे लाल पुत्र गोपालु

8—वृजलाल पुत्र गोपालु

9—श्यामा देवी पत्नी गोपालु

10—श्यामा देवी पुत्र गोपालु

11—सन्तराम पुत्र नकटा

12—मनीलाल पुत्र दिल्लू

13—चैतु पुत्र सफरी

14—प्रहलाद पुत्र

निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जित  
उत्तरकाशी।

:: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1419-1424 के खाता संख्या-36 दर्ज खसरा संख्या-480 रक्वा 0.053हें भूमि अन्य खातेदारों के साथ-साथ वादिनी के नाम बत्ते भूमिघर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से व कब्जे काश्त में है। दावी भूमि वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि का में नहीं किया जा रहा है। वादिनी ह्वारा सराय ऐक्ट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव खाता संख्या-36 की नकल प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र की जाचं तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवान धनारी ने अपनी जाचं दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या-36 में दर्ज खसरा संख्या-480 रक्वा 0.053हें भूमि निवेशक मंजरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) नहीं किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं भवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक भटवानी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।



मुद्रा

मुद्रा

CHAIRMAN  
Smt. Manjira Devi Shikshan  
Prashikshan Samiti  
Hitaanu, Uttarkashi (U.K.)

वाद दर्ज कर पक्षकरों को राम्यन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी0डब्लू-2 श्री मनीलाल पुत्र श्री दिल्लु उम्र-40 वर्ष ग्राम पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के बगान परिषित करवाये। वादी ने अपने बयानों में कहा कि मौजा पुजारगांव/हिटाणू के खसरा संख्या-480 रक्वा 0.053 हेक्टर भूमि अन्य खातेदारों के साथ मेरे नाम दर्ज अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। मैं उक्त दावी खसर को सराय ऐक्ट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दावी भूमि के चारों ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानों में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया है। पी0डब्लू-2 श्री मनीलाल पुत्र दिल्लु अभिलेख है तथा वादिनी के कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माणाधीन है तथा दावी भूमि पर किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

वाद पत्रावली का सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि दावी भूमि अब कृषि बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन कुकुट पालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है तथा दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भवन निर्माणाधीन है। जिस पर अब कृषि कार्य नहीं हो सकता है। इसलिये दावी भूमि को अकृषित/आबादी घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।


### आदेश :

ग्राम पुजारगांव, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के खतौनी फसली वर्ष 1419-1424 में निदेशक मंजरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम खाता संख्या-36 में दर्ज खसरा संख्या-480 रक्वा 0.053 हेक्टर भूमि को गैर कृषि/आबादी क्षेत्र घोषित किया जाता है। तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार डुण्डा को निःशुल्क नियत रीत से गैर कृषि/आबादी किसी भूमि में दर्ज करने हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार संचित हो।

  
 (के० के० सिंह )  
 असिस्टेन्ट कलक्टर  
 डुण्डा, उत्तरकाशी।

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.05.2013 को खुले न्यायालय में स्वहस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उदघोषित।

  
 असिस्टेन्ट कलक्टर  
 डुण्डा, उत्तरकाशी।

  
 CHAIRMAN  
 Smt. Manjira Devi Shikshan  
 & Prashikshan Samiti  
 Hitanu Dhanari, Utarkashi (U.K.)

(18)

जाकल संलग्न हापा प्रति उमानीरे  
 जिल्हा। राष्ट्र व्यावालप आमेस्तेन्ट कलभूत  
 दुःख दिनों 20-08-2013 वाद संख्या: 190/2013  
 शास-143 ज. अ. वादी: रामज्ञारी बाजाना विजयपुरा  
 अप्पे सा० पुष्टारगोव तहसील दुःख जिल्हा उत्तरकाशी



वादक अधिकारी  
 १० मा०/अ० न०/विड्या०  
 विशेष विवाह अधिकारी  
 दुःख उत्तरकाशी

*Bhogwan*  
 CHAIRMAN  
 Smt. Manjira Devi Shikshan  
 & Prashikshan Samiti  
 Hitnu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

(19)

## न्यायालय अस्टिंट कलक्टर डुण्डा उत्तरकाशी।

वाद संख्या 190/2012-13

धारा— 143 ज.वि.अ.1950

वादी

1—श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण/प्रशिक्षण संस्था हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी।

### बनाम

प्रतिवादीगण—

- 1—राम नाथ पुत्र श्री राम स्वरूप
- 2—श्रीमती पूर्णा देवी पत्नी रामस्वरूप
- 3—श्रीमती झाबा देवी पत्नी रामस्वरूप
- 4—दशरथ प्रसाद पुत्र ऋषिराम
- 5—र्हषमणि पुत्र ऋषिराम
- 6—हरिशरण पुत्र ऋषिराम
- 7—झानानन्द पुत्र जमुना प्रसाद
- 8—सचिता नन्द पुत्र जमुना प्रसाद
- 9—नित्या नन्द पुत्र जमुना प्रसाद
- 10—गुणा नन्द पुत्र समकृष्ण
- 11—वैज राम पुत्र रामकृष्ण

निवासीगण ग्राम पुजारगांव लगा हिटाणू पट्टी धनारी तहसील डुण्डा, जिला उत्तरकाशी।

### :: निर्णय ::

वादिनी ने दिनांक 06.05.2013 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा हिटाणू पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के फसली वर्ष 1418—1423 के खाता संख्या—126 में दर्ज खसरा संख्या—1750 रक्वा 0.019ह०, 1756 रक्वा 0.010ह० भूमि अन्य खातेदारों के साथ—साथ वादिनी के नाम बतौर भूमिधर दर्ज अभिलेख है तथा दावी भूमि वादिनी के हिस्से ब कब्जे काशत में है। दावी भूमि पर वादिनी का आवासीय भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से कृषि कार्य में नहीं किया जा रहा है। वादिनी द्वारा सराय ऐक्ट में पंजीकृत किये जाने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि करवाना आवश्यक हो गया है। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया गया है। वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या—126 की नकल प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र की जाचं तहसीलदार डुण्डा से करवाई गई। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी ने अपनी जाचं दिनांक 16.05.2013 में उल्लेख किया कि ग्राम पुजारगांव के खाता संख्या—126 में दर्ज खसरा संख्या—1750 रक्वा 0.019ह०, 1756 रक्वा 0.010ह० भूमि डा० एच०एस० नौटियाल प्र० मंजरा देवी शि० एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू पट्टी धनारी के नाम दर्ज है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण भवन निर्माणाधीन है। दावी भूमि पर कृषि कार्य (बागवानी, उद्यान, मत्स्य पालन, पशुपालन, कुकुट पालन आदि) नहीं किया जाता है। दावी भूमि के चारों ओर बंजर खाली खेत एवं गवन निर्मित है। राजस्व निरीक्षक भटवाड़ी धनारी एवं तहसीलदार डुण्डा ने दावी भूमि को गैर कृषि/आवासीय भूमि घोषित किये जाने की आख्या दी गई है।

वाद दर्ज कर पक्षकरों को सम्मन प्रेषित किये गये। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। वादिनी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपने तथा पी०डब्लू०-२ श्री मनीलाल पुत्र श्री दिल्लु उम्र—40 वर्ष ग्राम पुजारगांव (हिटाणू) पट्टी धनारी, तहसील डुण्डा के बयान परेक्षित करवाये। वादी ने अपने बयानों में

क्रमशः—  
Smt. Manjira Devi Shikshan  
& Prashikshan Samiti  
Dhanari, Utarkashi (U.K.)

--2--

कहा कि मौजा पुजारगांव/हिटाणू के खसरा संख्या—1750 रकवा 0.039हे0,1758 रकवा 0.010हे0 भूमि अन्य खातेदारों के साथ मेरे नाम दर्ज अभिलेख है दावी भूमि पर शिक्षण संस्थान का भवन निर्माणाधीन है। मैं उक्त दावी खसरा को सराय ऐकट में पंजीकृत कराने हेतु दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करवाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए बाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। दावी भूमि पर अब किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। दावी भूमि के चारों ओर खाली बंजर खेत एवं भवन निर्मित है। वादिनी ने अपने बयानों में दावी भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने का अनुरोध किया है। पी0डब्लू0-2 श्री मनीज्ञाल पुत्र दिल्लू उम्र—40 वर्ष ने वादिनी के कथन का समर्थन करते हुये कहा कि दावी भूमि वादिनी के नाम पर दर्ज अभिलेख है तथा वादिनी के कब्जे काश्त में है। दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माणाधीन है तथा दावी भूमि पर किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं हो रहा है।

बाद पत्रावली का सम्यक अवलोकन से स्पष्ट है कि दावी भूमि अब कृषि बागवानी पशुपालन, मत्स्यपालन कुकुट पालन के प्रयोग में नहीं लाई जा रही है तथा दावी भूमि पर वादिनी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण भवन निर्माणाधीन है। जिस पर अब कृषि कार्य नहीं हो सकता है। इसलिये दावी भूमि को अकृषित/आबादी घोषित किया जाना न्यायोचित होगा।

#### :: आदेश ::

ग्राम पुजारगांव, पट्टी धनारी तहसील डुण्डा जिला उत्तरकाशी के खतीनी फसली वर्ष 1418-1423 में डा० एच०एस० नौटियाल प्र० मंजरा देवी शि० एवं प्रशिक्षण संस्थान हिटाणू के नाम खाता संख्या—126 में दर्ज खसरा संख्या—1750 रकवा 0.019हे0,1756 रकवा 0.010हे0 भूमि को गैर कृषि/आबादी क्षेत्र घोषित किया जाता है। तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार डुण्डा को निःशुल्क नियत रीति से गैर कृषि/आबादी किस्म भूमि में दर्ज करने हेतु परवाना जारी हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार संचित हो।

(के० के० सिंह )  
असिस्टेन्ट कलक्टर  
डुण्डा, उत्तरकाशी।

उक्त निर्णय/आदेश आज दिनांक 20.05.2013 को खुले न्यायालय में स्वहस्ताक्षरित व न्यायालय की मुद्रा लगाकर उद्घोषित।



असिस्टेन्ट कलक्टर  
डुण्डा, उत्तरकाशी।

असिस्टेन्ट कलक्टर  
डुण्डा, उत्तरकाशी।

*B. Bagwan*  
**CHAIRMAN**  
Smt. Manjira Devi Shikshan  
& Prashikshan Samiti  
Hitani Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

(१६)

नीति अधाल्य डोमेस्टिक कलमा दुष्ट।


२५ संख्या: १४७/ २०१२-१३ वारा-१५३ जनवरी २०१३

प्राप्ति - नीति मंजिरादेवी अग्रसं जगदीश

आदि सांप्रज्ञातोक एवं निष्ठा आदेश

दिनांक २०-०५-२०१३ की उमागित छाति

संलग्न : -



*N. D. Deo Khar*  
CHARMAN  
Smt. Manjira Devi Shikshan  
& Prashikshan Samiti  
Hitanu Dhanari, Uttarkashi (U.K.)

मी  
ता  
दी  
न  
दे)  
क  
सी

नी  
म  
न  
थ  
स  
ह  
य  
दा